भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 600

25 जून, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि अपशिष्ट

600. श्री उमेश जी. जाधवः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में उत्पन्न कृषि अपशिष्ट की मात्रा कितनी है;

(ख) क्या यह सही है कि किसान कृषि अपशिष्ट (अर्थात् पराली को) जलाने की कोशिश करते हैं जिसके कारण प्रदूषण का उच्च स्तर पैदा होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि अपशिष्ट के कारण बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को स्थानीय उत्सर्जन स्रोतों की निगरानी तथा उत्सर्जन नियंत्रण के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने अनुमान लगाया है कि देश में सालाना लगभग 500 मिलियन टन कृषि और कृषि-औद्योगिक अवशेष पैदा होता है और इसमें से लगभग सत्तर प्रतिशत अवशेष का उपयोग चारे के रूप में, घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ईंधन के रूप में और अन्य आर्थिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

(ख) रबी फसल की बुवाई के लिए खेतों को साफ करने के लिए मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के भारत के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में धान की पराली को जलाने का प्रचलन है। तथापि, उपग्रह डेटा के अनुसार इन तीन राज्यों में वर्ष 2017 और 2016 की तुलना में वर्ष 2018 में पराली जलाने की घटनाओं में क्रमशः लगभग 15% और 41% की कमी देखी गई है।

(ग) वर्ष 2018 में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेषों के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए 1151.80 करोड़ रुपये की केन्द्रीय निधि से एक नई केंद्रीय क्षेत्र कृषि-यंत्रीकरण संवर्धन योजना शुरू की गई है।

वर्ष 2018-19 के दौरान किसानों को सब्सिडी पर स्व-स्थाने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के वितरण के लिए, स्व-स्थाने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के कस्टम हायरिंग केंद्रों (सीएचसी) की

स्थापना और किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलापों के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों को क्रमश: 269.38 करोड़ रुपये 137.84 करोड़ रूपए और 148.60 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को अब तक क्रमशः 248.00 करोड़ रुपये, 175.00 करोड़ रूपए और 97.54 करोड़ रूपए भी जारी किए जा चुके हैं।

(घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली और एनसीआर सहित प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 42/31 उपायों के कार्यान्वयन हेतु वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1986 की धारा 18 (1) (ख) के तहत व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें वाहन उत्सर्जन से संबंधित नियंत्रण और शमन उपाय, सड़क की धूल और अन्य वाहक उत्सर्जन को पुन: नियंत्रित करने, बॉयो-मास/नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण और ढ़हाने संबंधी गतिविधियों और अन्य सामान्य कार्य शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देशभर में व्यापक स्तर पर बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) भी शुरू किया है।

****